A Multidisciplinary Indexed International Research Journal

ISSN : 2320-3714
Volume : IV

ADHYAYAN
INTERNATIONAL
RESEARCH
ORGANISATION

Airo International Research Journal August, 2014
Volume IV, ISSN: 2320-3714

महिला सशक्तिकरणः एक अवलोकन

संक्षेपण

डॉ0 सुनीता (हिन्दी प्रवक्ता)

पी.के.एस.डी. कॉलेज (कनीना)

Declaration of Author: I hereby declare that the content of this research paper has been truly made by me including the title of the research paper/research article, and no serial sequence of any sentence has been copied through internet or any other source except references or some unavoidable essential or technical terms. In case of finding any patent or copy right content of any source or other author in my paper/article, I shall always be responsible for further clarification or any legal issues. For sole right content of different author or different source, which was unintentionally or intentionally used in this research paper shall immediately be removed from this journal and I shall be accountable for any further legal issues, and there will be no responsibility of Journal in any matter. If anyone has some issue related to the content of this research paper's copied or plagiarism content he/she may contact on my above mentioned email ID.

महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। समाज के महिला वर्ग को हर दिशा एवं हर दशा में इतना शक्तिशाली बनाना की वह पुरूष के बराबरी का दर्जा पा सके। ऐसे मे प्रथम प्रश्न हमारे मन में यह उठता है कि ऐसा क्या कारण है कि महिला को सशक्त करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया? जवाब होगा कि समय एवं व्यवस्था के साथ वह भारतीय महिला जो कभी समाज में देवी के समान पूजी जाती थी उसकी दशा पद–दलित हो गई। वह देवी, मात्र भोग्या बनकर रह गई। जिसके कारण न केवल उसका पतन हुआ अपितु देश का विकास भी रूक गया। इतना ही नहीं विश्व पटल पर भारत की छवि भी काफी धूमिल हो गई। इन सभी कारणों को पहचानते हुए ही पुनः नारी को उसका वह खोया सम्मान प्रदान कराने के लिए महिला सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया अपनाई गई। इस प्रक्रिया को अपने मुकाम तक पहुँचाने के लिए न केवल भारत सरकार, विभिन्न आयोग, भारतीय संविधान, सुशिक्षित भारतीय समाज व स्वयं नारी प्रयासरत है। हालाँकि इस प्रक्रिया की राह में अनेकानेक बाधाएं हैं जैसे दकियानूसी समाज की सोच जो आज भी महिला को दोयम दर्जे का मानती है। पुरूष का अहंकार जो चाहकर भी महिला को जिसे आज तक वह अनुगामिनी समझता रहा। सहगामिनी मानने का साहस नहीं कर पा रहा।

परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो लेकिन महिला सशक्तिकरण को यह प्रक्रिया महिला सशक्तिकरण के लिए एक सार्थक प्रयास है। अगर इसी तरह के प्रयास व सहयोग मिलते रहे तो फिर महिला को सशक्त होने से कोई रोक भी नहीं सकेगा। आधुनिक युग में इसके परिणाम सामने आने भी लगे हैं। आज महिला शिक्षित होकर घर की चारदिवारी से बाहर निकल नौकरीपेशा कर रही हैं। आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। अपने हर फैसले के लिए पुरूष का मुहँ ताकने की बजाय वह अपने फैंसले खुद ले रही है। अनुगामिनी से सहगामिनी तक की उसकी यह यात्रा भविष्य में सार्थक होती नजर आ रही है।

महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष अधिकतर प्राप्त करने एवं बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्रयोग करने, आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण स्थापित करने, उन तक महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित करने, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने, महिलाओं को शिक्षित

एवं प्रशिक्षित कर उन्हें, स्थायी रोजगार उपलब्ध कराकर स्वावलम्बी बनाने, उनके पोषण स्तर को सुधारकर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने एवं शोषण एवं दमन से उन्हें मुक्ति दिलाकर उनकी निजता को सुरक्षित करके हम आज की नारी को पूर्णतया सक्षम बना सकते हैं।[1]

आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण एक ज्वलंत समस्या बनकर समाज के सामने उपस्थित हुई है। नारी की स्थिति समय एवं परिवेश के साथ बदलती रही है। पूर्व सैनिक काल में नारी की स्थिति बड़ी ही सम्मान जनक रही है। नारी को घर के हर कार्य को अपने अनुरूप परिचालित करने का अधिकार एवं गौरव प्राप्त था। इस सम्बन्ध में सत्यमित्र दुबे के विचार दृष्टव्य हैं– ''ऐतिहासिक विकास क्रम के सम्बन्ध में देखा जाए तो वैदिक काल में नारी को पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता उपलब्ध है। उसके जीवन पर न्यूनतम नियंत्रण है और सभी सामाजिक एवं धार्मिक कृत्यों में उसे उन्मुक्त रूप से भाग लेने की आज्ञा उपलब्ध है।''[2] इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व वैदिक युग में नारी को स्थिति सम्मानजनक थी। वैदिक युग में भी यह स्थिति बरकरार रही। इस युग में नारी को 'कुल देवी' कहकर सम्बोधित किया जाता था। जिस सम्बोधन में इतना सम्मान झलकता हो, वहाँ उसकी सम्मानित स्थिति का आंकलन करना सहज सरल है। ''वह गृहस्वामिनी सबको अपने सौहार्द से वश में करने वाली तथा 'विद्ध' (युद्ध तथा यज्ञ) में बोलने वाली है।''[3] यह स्थिति लगभग सभी वेदों में कायम रही, लेकिन उत्तर वैदिक काल से नारी स्थिति में परिवर्तन आना आरम्भ हो गया। यह परिवर्तन इस गति से हुआ कि मध्यकाल तक आते–आते वह नारी जिसके बारे में ''यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता'' कहा जाता था, मात्र भोग्या बनकर रह गई। नारी के शरीर की बाह्य चमक–दमक तक ही पुरूष की नजर जाने लगी। नारी जीवन के इस घोर पतन को उसकी अन्तर्मन की पीड़ा को पुरूष वर्ग ने न केवल अनदेखा किया अपितु समाज को पुरूष प्रधान समाज के रूप में प्रतिष्ठित कर नारी के लिए नए–नए कानून, मान्यताएँ निर्धारित कर दी। उसका कार्यक्षेत्र केवल चारदीवारी के अन्दर तक सीमित कर दिया। उसका परम कर्त्तव्य पति सेवा व बच्चों के लालन–पालन को बना दिया। इस प्रकार नारी की स्थिति बद से बदतर हो गई।

आधुनिक युग में या यों कहें उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से स्त्री के हित एवं अधिकारों से जुड़े आंदोलन आरम्भ हुए। अनेक समाज सुधारकों ने जैसे राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि ने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराईयों एवं कुप्रथाओं का डटकर विरोध किया। समाज में व्याप्त सती–प्रथा, विधवा–विवाह, बाल–विवाह जैसी विद्रूप समस्याओं से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने सराहनीय प्रयास किया जिसके फलस्वरूप नारी स्थिति में कुछ सुधार नजर आने लगे। ''वे स्त्रियों की पूर्ण स्वतंत्रता, समानता एवं समान अधिकारों के पक्षपाती थे।''[4] स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उन्हें पुरूष के समान अधिकारी एवं बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए बराबर प्रयास किए जाते रहे हैं। संविधान के द्वारा भी अनुच्छेद 15, 16, 19 में महिलाओं को न केवल पुरूषों के बराबर अधिकार प्रदान किए गए बल्कि उनमें यह भी व्यवस्था की गई सरकार उनके विकास हेतु विशेष उपबंध कर सकती है। संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धान्तों में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह महिलाओं के विकास हेतु

विशिष्ठ प्रयास करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संवैधानिक एवं विधिक रूप से महिलाएँ पुरूषों के बराबर हैं लेकिन धरातली यथार्थ से हम सब भली–भांति परिचित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मालिकाना हक, सम्मान सभी स्थितियों में नारी पुरूष से काफी पीछे है। आज भी समाज रहन–सहन, खान–पान, पहनावा, शिक्षा आदि सभी पहलुओं में नारी के साथ भेदभाव रखता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सर्वाधिक सार्थक प्रयास संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन में किया गया। जिसमें महिलाओं को काफी अधिकार प्रदान किए गए हैं। आज राष्ट्रीय महिला आयोग, केन्द्रिय समाज कल्याण बोर्ड, राज्यों की महिला आयोग जैसे निकायों की स्थापना से महिला सशक्तिकरण की दिशा में पर्याप्त प्रयास हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग उनके हितों के संरक्षण, संवर्धन और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए एक संवैधानिक निकाय है जो हर तरह से महिला अधिकारों के प्रति कटिबद्ध है। इसका मुख्य कार्य महिला अधिकारों की कुशलतापूर्वक संस्तुतियाँ करना है ताकि हर महिला कानून अपने अधिकारों के प्रति न केवल जागरूक हों अपितु आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का अपने हितों के लिए उपयोग करने में भी समर्थ हों। अपने अधिकारों के प्रति किसी भी प्रकार की शंका का समाधान वह इस आयोग से सरलता से प्राप्त कर सकती है।

इसके अतिरिक्त भी सरकार ने बहुत से ऐसे प्रयास अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में किए जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सफल प्रयास माना जा सकता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992–1997) जो मुख्य रूप से मानव विकास पर केन्द्रित थी, ने नारी सशक्तिकरण पर सार्थक बल दिया। 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में भी महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। इसी तरह की 10वीं व 11वीं योजनाएँ भी रहीं। कहा जा सकता है कि चाहे वह संविधान हो, चाहे विभिन्न तरह के आयोग या फिर पंचवर्षीय योजनाएँ या कानून हर तरफ से महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। भारतीय सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया तथा 8 मार्च को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप ही आज महिलाएँ जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। महिलाओं की इसी शक्ति को रेखांकित करते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि– ''यदि आप मुझे 500 पुरूष दें तो मैं वर्ष में राष्ट्र को बदल दूँगा और यदि हमें 50 महिलाएँ दें तो कुछ ही महिनों में देश बदल दूँगा।''[4] आज नव–निर्माण का युग है क्योंकि समाज के चक्र में घुमाया आया जिसमें संस्कारों, भावनाओं का स्थान, तर्क एवं भौतिकता ने ले लिया। इसी भौतिकता के चलते नारी ने कामकाजी महिला के रूप को स्वीकारा ''दफ्तरों में काम करने वाली शिक्षित महिलाओं को कामकाजी महिला माना जाता है।''[5] डॉ0 रोहिणी अग्रवाल कामकाजी महिलाओं को परिभाषित करते हुए कहती हैं– ''आर्थिक दबाव व शिक्षा के कारण ये नारियाँ घर से बाहर नौकरी करती हैं।''[6]

महिला का कामकाजी होना उसके सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम का कार्य करता है, कहने का अभिप्राय यह है कि आधुनिक महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है चहो वह गति धीमी ही क्यों न हो। इसका अभिप्राय यह हुआ कि नारी के पद दलन, भोग्या, पैर की जूती का काल लद चुका है। आज व पुनः अपने

प्राचीन रूप देवी, कुल देवी को न सही बराबरी के स्थान को तो कम से कम पाने की कोशिश में है।

स्वयं महिलाओं का अपना प्रयास, आधुनिक सोच वाले समाज का सहयोग, संविधान की कोशिश, सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए विभिन्न नियम एवं कानून, विभिन्न आयोग सब मिलकर आज महिला सशक्तिकरण पर बल दे रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक महिला का स्वरूप हमारे सामने आया है। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद कुछ ऐसे तथ्य आज भी समाज में क्रियाशील हैं जो सम्पूर्ण महिला सशक्तिकरण की राह में कदम–कदम पर रोड़े अटका रहे हैं। उदाहरण स्वरूप लम्बे समय से चली आ रही नारी की भोग्या छवि को आज भी पुरूष समाज तोड़ने को तैयार नहीं है। कामकाजी, शिक्षित होने के बावजूद आज भी पुरूष मानसिकता उसे अपनी सहभागी मानने को तैयार नहीं है। नासिरा शर्मा कृत शाल्मली में नरेश इसका उदाहरण है– ''इस कमाई पर इतराती हो? यही बताना चाहती हो कि तुम ग्रेट हो, मैं पोजीशन में तुमसे कम हूँ? उछलकर बिस्तर पर बैठते हुए नरेश गरजा।''[7] पुरूष सहकर्मी कार्यक्षेत्र में अवसर–बेअवसर उसका शोषण करने से नहीं कतराते। हर तीन मिनट में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार इसका ज्वलंत उदाहरण है। आज भी लगभग 98 प्रतिशत पुरूष अपने यहाँ कन्या शिशु नहीं चाहते जिसके परिणाम स्वरूप आज देश का लिंगानुपात किस कदर गड़बडाया हुआ है, यह किसी से भी छिपा नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में लिंगानुपात 45 और 55 के अनुपात में है। इस तरह हम पाते हैं कि समाज का एक ऐसा वर्ग या यों कहें बहुत बड़ा वर्ग नारी सशक्तिकरण को राह में बाधा बना हुआ है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले इस मानसिकता को बदलना होगा।

निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसा नारा है जो आज महिला को कमजोर से मजबूत बनाने की दिशा में एक सामाजिक प्रक्रिया का कार्य कर रहा है। आधुनिक युग विकास का प्रगति का युग है। वैश्वीकरण के इस युग में भौतिकता का बोल बाला है। इस समय विश्वपटल पर वही देश अपना परचम लहरा जाएगा जो अपनी सोच से अपने विकास को अपनी श्रेष्ठता को साबित कर पाएगा। ऐसा तभी सम्भव है जब समाज के दोनों पक्ष पुरूष एवं महिला अपने–अपने सामर्थ्यानुरूप कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। जिसके लिए भारतीय समाज में युग–युगों से पद दलित महिला को मानसिकता, शारीरिक और आत्मिक शक्तियों से युक्त कर उसमें स्वाभिमान का भाव जगाया जाए। इस दिशा में लम्बे समय से अलग–अलग तरह से प्रयास भी हो रहे हैं जिनका जिक्र ऊपर किया गया है लेकिन पूर्णता के लिए उस वर्ग को भी हाथ बढ़ाना होगा जो जाने–अनजाने में आज भी महिला का शोषण कर रहा है उसके विकास में बाधा बन रहा है और ऐसा असम्भव नहीं मात्र एक बार हमें अपने गौरवमयी इतिहास की तरफ झाँकना होगा जहाँ नारी को श्रृद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। जहाँ मातृशक्ति को उपसाय, आराध्य माना जाता था। जहाँ बेटी को कन्या कह देवी की तरह पूजा जाता था। बिहारी ने कहा है कि नारी सब कुछ कर सकती है। राधा ने श्रीकृष्ण को और सीता ने भगवान श्रीराम को शक्ति दी थी। शिव भी शक्ति के अभाव में शव हो जाते हैं। नारी सृष्टि की परम सौन्दर्यमयी सर्वश्रेष्ठ कृति है। वहीं पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व

के लिए दया, जीव मात्र के लिए करूणा संजोने वाली महाप्रकृति है। महान दार्शनिक अरस्तु ने भी नारी की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का भी मानना था– ''महिलाएँ सम्पूर्ण जनसंख्या का आधा है, फलतः उन्हें राष्ट्र विकास में भी समान रूप से सहभागिता निभानी चाहिए।''[8] इस महिला सशक्तिकरण का परिणाम लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के शब्दों में देखा जा सकता है ''अभी तक व्यक्तित्व की विराटता एवं विशिष्टता का जो सर्वाधिकार पुरूषों के पास था वह सही अर्थों में नारियों तक भी पहुंचा।''[9] महिला सशक्तिकरण की यह कोशिश अगर इसी तरह से गतिशील रही, सामाजिक सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो निश्चित तौर पर भारतीय समाज की महिलाओं का सशक्त होना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

संदर्भ सूचीः–

1. उपाध्याय श्रीराम जी प्राचीन भारत की सामाजिक संस्कृति, पृ0 संख्या 77

2. ऋग्वेद– 10/85/26

3. तदैव– श्रीमद् दयानन्द पृ0 सं. 484

4. डॉ0 अनिल गोयल हिन्दी कहानी की सामाजिक भूमिका, पृ0 सं. 173

5. स्वामी विवेकानन्द एक विवेचन तनु उपाध्याय, पृ0 सं. 67

6. नासिरा शर्मा, शाल्मली, पृ0 सं. 107

7. डॉ0 रोहिणी अग्रवाल, हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, पृ0 सं. 57

8. लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी उपन्यास– उपलब्धियाँ, पृ0 सं. 125

9. राहुल सांकृत्यायन, हिंदी काव्य धारा (भूमिका) पृ0 सं. 19